राजस्व अपील संख्या–91/2024 लीला बनाम सरकार

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–91/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/91

अपीलाण्ट :–

लीला पुत्र लादा जाति कलबी, उम 80 वर्ष, निवासी मनोहरजी का वास तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जसवंतपुरा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर के प्रकरण संख्या 17/2021 के निर्णय दिनांक 30.09.2021 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा संबंधित पक्षकारो को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बावजुद सम्मन तामिल के पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

3. अपील के बिन्दु निम्नानुसार हैः–

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के विपरित, विरूद्ध न्याय एवं नियम के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलान्ट/प्रार्थी को सरहद मौजा मनोहरजी का वास स्थित आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण मानकर दण्डित करेन में तथ्यो की भूल की है बल्कि विधि के मूलभूत सिद्धान्तो की भी भूल की है। खसरा संख्या 445 में मौके पर रास्ते जैसी कोई स्थिति नही है। सरहद मौजा मनोहरजी का वास स्थित आराजी खसरा नम्बर 418 के उत्तर तरफ से मनोहरजी के वास के आबादी से होता हुआ खसरा नम्बर 418, 417, 416, 415, 412/997 के पूर्वी माठ से होते हुए विगत लम्बे समय से जनसामान्य के ज्ञान में चल रहा है जो कारलू व राजीकावास की सड़क से मिलता है तथा उपरोक्त रास्ता रिकॉर्डेड रास्ता नही है। काश्तकारो के खातेदारी भूमि मे से चल रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसी रास्ते पर डामरीकरण से किया गया है जिससे यह स्पष्ट प्रकट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व अधिकारी व कर्मचारी द्वारा दर्शाये गये रास्ते पर

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

डामरीकरण राजकीय पैसो का उपयोग किया गया है उस समय राजस्व अधिकारियो द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई उपरोक्त रास्ता अपीलान्ट की कृषि भूमि के बीच में से चल रहा है यदि वास्तव मे रास्ता खसरा नम्बर 445 की भूमि में होता तो डामरी करण उसी स्थान पर करवाया जाता। जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों से परे जाकर अपने आलौच्य निर्णय में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपने नोटिस के जवाब में विस्तृत रूप से वर्णित किया कि मनोहर जी के वास के ग्रामवासियो के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कारलू तहसील जसवन्तपुरा ग्राम मनोहरजी का वास की पैमाईश करवाई जाकर उसके सीमा चिन्ह लगवाने का अनुरोध किया है जिसका गलत तौर पर उपखण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा के न्यायालय ने धारा 128, 129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 3 की धारा के तहत कोई वाद चलने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा सीमाज्ञान के सबंध में मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेने का अंकन किया है, इसी संदर्भ में पटवारी हल्का ममता शर्मा के जो बयान कलमबद्ध किये हैं. उसमे खसरा नम्बर 445 की सम्पूर्ण स्थिति का उल्लेख नहीं किये गये है मात्र लीला अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये प्रकरण पेश किया है जबकि खसरा नम्बर 445 पर अन्य व्यक्तियो का भी कब्जा है उसके सबंध में कोई कार्यवाही आज रोज तक नहीं की गई है एवं जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शे के साथ इ से ए कारलू से राजीकावास जाने वाली सडक से मिलने वाले रास्ते का होना एवं ए से डी मौके पर रास्ता खुला या बन्द है इस सबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है एवं साथ ही यह खसरा नम्बर 412, 415, 417, 418 के खातेदारो के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने का एक मात्र कारण यह दर्शाया की उनके विरूद्ध शिकायत नहीं की मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत की क्योंकि खसरा नम्बर 410 के पश्चिम में कुछ दूरी पर कारलू की सीमा लगती है तथा कारलू के मंगलाराम, मूलाराम पिसरान जीवाजी जिनकी खातेदारी भूमि आई हुई है वे अपीलान्ट की भूमि खरीदना चाहते है इस हेतु दबाव भी बनाया गया, परन्तु बयान हेतु तैयार नहीं हुआ तो मात्र उसकी शिकायत दर्ज कराई जिससे भी यह प्रकट है कि पटवारी हल्का ने शिकायतकर्ता को लाभान्वित करने के लिये धारा 91 राजस्थान भू राजस्व के तहत कार्यवाही की है रास्ते में अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की है। राजीकावास पटवार मण्डल में अन्य अतिक्रमियो के विरूद्ध प्रकरण पेश करने का उल्लेख किया है पटवारी हल्का के बयान से यह स्पष्ट है कि वह मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के लिये आमादा रहे अथवा अन्य के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की भू–अभिलेख निरीक्षक बंशीधर ने अपने बयानो मे स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने में कोई सामग्री उपयोग मे नहीं ली **गई मैने व पटवारी हल्के ने नहीं हटाया उपस्थित व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था तथा जिस रास्ते पर अतिक्रमण बताया गया है वहां पर कोई रास्ता मौके पर नही है।** इस तथ्य को भू अभिलेख निरीक्षक ने स्वीकार किया है।

7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का पूरा उल्लेख निर्णय मे नही किया गया है तथा पूर्व मे भी अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण संख्या 64/2021 बनाया गया था एवं बेदखली के आदेश दिये गये थे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

8. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गवाह तलब करने दिनांक 20.07.2021 पर कोई आदेश का आदेशिका मे वर्णन नहीं किया है, दिनांक 28.07.2021 को शाम के साढे छ बजे तक अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे पीठासीन अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय रामसीन गये हुये थे एवं नहीं लौटे तथा आनन फानन में दिनांक 29.07.2021 को जब अधिवक्ता न्यायालय लौटे तो उस समय भी पीठासीन अधिकारी महोदय उपस्थित नहीं थे एवं रीडर द्वारा कहा गया कि आगामी पेशी सूचित कर देंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय दिनांक 30.07.2021 को सेवानिवृत होने वाले थे एवं दिनांक 29.07.2021 को ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना गैर कानूनी मानसिकता को एवं गवाह तलबी का आदेश नहीं करने का भी गैर कानूनी मानसिकता को प्रकट करता है, किसी भी प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना माफिक कानून आवश्यक है।

9. यह है कि पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के बयानो में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं किया गया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम मे बाध्यकारी है एवं जो दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित नही होता है उसे माफिक कानून साक्ष्य में पढ़ा नहीं जाता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जो दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हुये है उन्हें पढ़ कर जिन्होने वास्तविक रूप से अतिक्रमण हटाया उनके बयान रेकार्ड पर लिये बिना अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है। जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि खसरा नम्बर 445 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है जबकि इससे लगते हुये तमाम खातेदार के कब्जे काश्ता मौजूद है क्योकि मौके पर कभी भी रास्ता रहा ही नही है तथा यहां पर डामर की सडक चल रही है वह खातेदारी भूमि का भाग है ऐसी स्थिति में स्वयं राजस्व अधिकारियो का दायित्व बन जाता है कि जब रास्ते हेतु खातेदारी हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तो उसी को रास्ता मानते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग राजकीय कार्यालय है जिनके द्वारा सडक निर्माण किया गया है जिसने भारी मात्रा में सरकारी राशि व्यय की गई है। खसरा नम्बर 445 की भूमि किस्म परिवर्तित करने के लिए स्वयं राजस्व अधिकारियों को अपने स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिये थी, अन्यथा जिस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक कार्य प्रारम्भ किया गया था उस समय इस बात से अवगत करवाया जाना चाहिये था कि वह रास्ते की भूमि नहीं है रास्ते की भूमि उस समय ही अतिक्रमण से मुक्त करवाकर सुपुर्द करनी चाहिये थे जो नहीं करवाई, जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

11. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई परन्तु अपीलान्ट द्वारा जिन व्यक्तियो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

द्वारा उल्लेख किया गया है उन्हें तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उस पर कोई आदेश न कर सीधा निर्णय पारित किया गया है तथा इस निर्णय में प्रार्थना पत्र खारिज करने का उल्लेख किया गया है। इन हालात मे स्पष्ट है कि न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर नहीं प्रदान किया है व शिकायतकर्ता जो सरकारी गवाह थे उन्हे न्यायालयो में नहीं बुलाया जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

12. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के विपरित है तथा अपीलान्ट के साथ सौतेला व्यवहार करना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

13. यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर कई बार मौका रिपोर्ट पेश करने बाबत माननीय न्यायालय तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया, उसके बावजूद भी वास्तविक मौका रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नही की गई। दिनांक 18.06.2021 को रिपोर्ट पर किसी भी स्थानीय व्यक्ति के हस्ताक्षर नही है और जो हस्ताक्षर उक्त मौका रिपोर्ट पर किये गये है उसमे कारलू के दोनो गांवो से अर्थात उक्त तथाकथित विवादित जो अप्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है उससे उनका किसी प्रकार का हित व अहित जुडा हुआ नहीं है और जो हस्ताक्षर करवाये गये है उन लोगो का इस विवाद से कोई लेना देना नही है।

14. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष पटवारी भवरलाल शर्मा के देहान्त कलमबद्ध किये गये, उनका कहना है कि उनके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की है तथा वहां पर खेत खाली पड़े है।

15. यह है कि आर.आई भोपालदास वैष्णव ने भी अपने बयान में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मनोहरजी का वास ग्रामवासियो द्वारा कोई शिकायत नहीं की है तथा न ही मैने व तहसीलदार साहब ने जोर जबरदस्ती पूर्वक उक्त रास्ता खुलवाने हेतु किसी प्रकार का प्रयास किया या मौके पर गये हो।

16. यह है कि अपीलार्थी के खेत के चारों दिशाओ में रास्ता चल रहा है और वर्तमान में जो विवादग्रस्त रास्ता है वह सैटलमेन्ट के बाद से ही कभी भी मौके पर रास्ता नही रहा है तथा वर्तमान में भी किसी प्रकार का कोई रास्ता या आवागमन नही हो रहा है और वर्तमान में जिस रास्ते पर डामरीकरण किया गया है उसी रास्ते का वर्षो से उपयोग किया जा रहा है. जिन शिकायतकर्ताओ द्वारा शिकायत की जा रही है वे लोग जानबूझकर व दुर्भावना से प्रेरित होकर अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत कर रहे है जो न्यायसंगत एंव विधि के विरूद्ध है। वास्तव मे शिकायतकर्ता के घर पर आने के लिये रिकॉर्डेड रास्ता है और इस रास्ते से इनका कोई लेना देना नहीं है. केवलमात्र परेशान करने के लिए उक्त शिकायत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

17. यह है कि माननीय अधीनस्थ जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से अपास्त कर मुकदमा संख्या 65/2021 सरकार बनाम लीला पुत्र लादा में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2021 को आरोपित जुर्माना राशि व बेदखली को अपास्त फरमावे व तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को भी अपास्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

18. यह है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवं परिस्थितियो के आधार पर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

अत. श्रीमान आप से प्रार्थना कर नम्र निवेदन है कि न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर का निर्णय दिनांक 30.09.2021 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य कोई उचित आदेश जो अपीलार्थी के पक्ष मे हो सादिर फरमाया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया। जिसके अनुसार मौजा मनोहरजी का बास के खसरा नम्बर 445 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलाण्ट लीला पुत्र लादा जाति कलबी निवासी मनोहरजी का बास में न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर की अपील संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज जाती है। न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर की अपील संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021 में आरोपित जुर्माना राशि व बेदखली के आदेश को यथावत रखते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को अपास्त इस शर्त पर किया जाता है कि अपीलार्थी एक माह के भीतर–भीतर मौके पर सम्पूर्ण प्रकार से अतिक्रमण स्वयं हटाये/ अन्यथा अतिक्रमण नही हटाने पर उक्त सजा यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर, जालोर एवं तहसीलदार, जसवंतपुरा को भेजी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/8/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)